

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर

रतनी देवी बनाम कृशाल

किस्म मुकदमा-212 राजस्थान कारशकारी अधिनियम

नम्बर- 277 वर्ष:-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
05.00.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया । प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक .....19-6-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	
19-6-25	<p><i>बार एसो. स्वर्गन</i> पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. अर्थात् सं. 1 से 13 P.O. साहय कर/अवकाश पर पधारें है। के नोटिस तागील अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक मुदा प्राप्त <i>के</i> .....26-6-25 को पेश हो।</p>	
26-6-25	<p><i>बार एसो. स्वर्गन</i> पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहय कर/अवकाश पर पधारें है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....17-7-25 को पेश हो <i>के</i></p>	
17-7-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उप. उप. - बुकि मूल वाड का वाड - प्रत्याहरण में खारिज किया जा चुका है, इस कारण उप. प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के बावजूद का प्रत्या-पत्र खारिज किया जा रहा है।</p> <p>पत्रावली केवल शुद्ध होकर 1 महीने के अन्दर ही <i>के</i></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	